(वाद सं0.-1833/4/21/2020)

09.08.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, राजकुमार मंडल को राशन कार्ड उपलब्ध कराने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, मधुबनी** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि " **परिवादी को राशन कार्ड प्राप्त है एवं परिवादी को राशन भी मिल रहा है। साक्ष्य स्वरूप राशन कार्ड की छायाप्रति संलग्न की गयी है।"**

अब जबकि राज्य आयोग के आदेश के अनुपालन में परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा समुचित समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, मधुबनी** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **जिला पदाधिकारी, मधुबनी** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ–14–09/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक